

2015/00051 आवुचं.

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8]

- 1 नाम अदास्त - सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
- 2 किसम मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 रा.टि.ए.
- 3 अनवान मुकदमा  
राधाकिशोरान पिता ओनाड जाट वनाम हीरा पिता रामकरण जाट  
नि-रामपुरा आंगूचा नि-रामपुरा आंगूचा
- 4 नम्बर व सान् मुकदमा - 57/2015
- 5 तारीख दायर - 16/11/2015
- 6 तारीख फौसला - 5/6/2017
- 7 तारीख दाखिल होने मुहकिजखाना -
- 8 अपील या निगतनी की तारीख फौसला -
- 9 किसम मिसाल या हिस्सा -
- 10 किसम रेकार्ड -
- 11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलक करना है \_\_\_\_\_  
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलक किया गया \_\_\_\_\_
- 12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलक करना है \_\_\_\_\_  
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलक किया गया \_\_\_\_\_
- 13 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलक करना है \_\_\_\_\_  
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलक किया गया \_\_\_\_\_
- 14 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलक करना है \_\_\_\_\_  
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलक किया गया \_\_\_\_\_

जी जे गिराड 1, 2, 6 से 8,  
10, 11, 12, 14 से 21

श्री कृपाशंकर शर्मा

5/6/2017

पनावगी आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट  
आगुवों पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये ।  
वकील प्रार्थी की दस्तुआ करने पर वकील उभयपक्ष को  
सुना गया । वक्त वक्त वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र  
में इच्छित तथ्यों को जोहराया व अन्त में स्पष्ट किया  
कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार करताया बाहर विशीगमा  
को राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के  
लिसे पावन्द करमाया जाये ।

उपस्थित वकील अर्थात् ने भी राजस्व  
रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने में कोई आपत्ती  
नहीं होना जाहर किया गया ।

मेरे वकील उभयपक्ष को सुना । वक्त पर  
भंगन किया । पनावगी पर उपलब्ध दस्तावेजात का  
अध्ययन किया । तदनुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार  
रखे जाने योग्य है :-

आदेश  
====

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगमा स्वीकार किया जाकर  
मूल वाद के निस्तारणों तक विशीगमन को खरिये  
अल्थायी निधेधाश से पावन्द किया जाता है कि  
वह मौजा आगुवों तखतीव दुग्ध की आराजी भू-  
2052 रकबा 16 बीघा 15 चित्वा भूमि के राजस्व  
रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे । पत्रावकी  
शुमार फैलाल होकर दाखिल करुत्तर करे । आदेश  
आज दिनांक 5/6/2017 को उगुती लोक अदालत में  
सुनाया गया ।

सहायक जज  
(S. D. O.) मुजावपुरा  
जिला-बीलगांध



0/5